राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांक :-भूमि/एफ.7(ड)/( ) डीएलबी/11/ 6152 दिनांकः 8-8-12

कार्यालय आदेश

विषय :- नगरीय निकायों में Dedicated Consultants की सेवायें लिये जाने हेतु दरों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.10(228)नविवि/3/10 दिनांक 30.09.2011 के तहत किये जा रहे कार्यो के संबंध में।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(228)नविवि/3/10 दिनांक 30.09.2011 द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यासों एवं नगरीय निकायों हेतु Empanel किये गये Dedicated Consultants द्वारा किये जाने वाले विभिन्न सेवाओं हेतु देय दरों का निर्धारण किया गया था। इस संबध में विभिन्न Consultant एवं नगरपालिकाओं से प्राप्त हो रही जानकारी के अनुसार नगरपालिकाओं एवं Consultants को विभिन्न कार्यो हेतु देय दरों के संबध में आ रही समस्या को दृष्टिगत रखते हुये व दिनांक 05.04.2012 को श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना में निम्नानुसार आदेश एतद् द्वारा प्रसारित किये जाते है :-

(अ) **ऐसे प्रकरण जिनमें केवल ब्ल्यू प्रिंट भूखण्ड प्लान उपलबध है :-** ऐसे प्रकरणों में सलाहकार फर्म द्वारा निकायों से ब्ल्यू प्रिंट प्राप्त किये जाकर उनका डिजिटाईजेशन करवाया जाकर मौका स्थिति के अनुसार समस्त भूखण्डों, सड़को एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यथा भूखण्ड-धारी का नाम, भूखण्ड पर मौका के निर्माण की स्थिति, विवाद इत्यादि के बारे में कार्यवाही की जाकर संबंधित योजना का ले आउट प्लान स्टैण्डर्ड फार्मेट में तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त योजना के ले आउट प्लान का राजस्व खसरा प्लान एवं मास्टर प्लान पर सुपरइम्पोजिशन की कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही करने पर सलाहकार फर्म द्वारा किये गये कार्य को आदेश क्रमांक प. 10(228)नविवि/3/10/जयपुर दिनांक 30.09.2011 के आइटम नं. 1 व 2 के तहत पूर्ण कार्य की श्रेणी में माना जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

(ब) **ऐसे प्रकरण जिनमें ब्ल्यू प्रिंट ले आउट प्लान एवं खसरा सुपरइम्पोजिशन, मास्टर प्लान सुपरइम्पोजिशन इत्यादि पूर्व में उपलब्ध है :-**ऐसी योजनाऐं जिनमें उपरोक्तानुसार प्लान उपलब्ध होने की स्थिति एवं मौके पर ले आउट प्लान में दर्शाये गये भूखण्डों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सलाहकार फर्म द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के आधार पर सीधे पत्रावलियां तैयार करने की कार्यवाही शुरू की जावेगी। इस प्रकार के प्रकरण में सलाहकार फर्म द्वारा किये गये कार्य को आदेश क्रमांक प.10(228)नविवि/3/10/जयपुर दिनांक 30.09.2011 के आइटम नं. 1 एवं 2 के तहत आंशिक कार्य की श्रेणी में माना जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

(स) **ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व में निकायों द्वारा टोटल सर्वे करवाया जाकर ले आउट प्लान तैयार/अनुमोदित किये जा चुके है :-**ऐसी योजनाओं से संबंधित प्रकरणों में अगर स्थानीय निकाय का ऐसा मानना है कि उनके पास उपलब्ध ले आउट प्लान/अनुमोदित ले आउट प्लान का मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्डों के नाप, सड़कों की चौडाई, निर्मित/रिक्त भूखण्डों का विवरण इत्यादि से संबंधित सूचना का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है तो ऐसे प्रकरण में स्थानीय निकायों द्वारा सलाहकार फर्म द्वारा उक्त प्रकार से किये गये कार्य को आदेश कमांक प.10(228)नविवि/3/10/जयपुर दिनांक 30.09.2011 के आइटम नं. 1 एवं 2 के तहत पूर्ण कार्य की श्रेणी में माना जाकर फर्म को दये कुल राशि में से स्थानीग निकाय द्वारा पूर्व में करवाये गये टोटल स्टेशन सर्वे के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि को कम किया जाकर शेष राशि का भुगतान सलाहकार फर्म को किया जा सकेगा।

निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :-भूमि/एफ.7(ड)/( ) डीएलबी/11/ 6153-6199 दिनांकः 8-8-12
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)।
4. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य के समस्त निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करें।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
8. निदेशक (आयोजना), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक (प्रोजेक्टस), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
12. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ.ए, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
14. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
18. मुख्य अभियन्ता (मु0), नगरीय विकास विभाग, नगर विकास न्यास, कोटा।
19. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश एवं संलग्नक सूची को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग